पूर्णमल v/s कन्हैयालाल कौ०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मुकदमा नं. = 274/2012	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-6-18	बनवाना प्रकरण, लोक अदालत/केम्प कोर्ट स्थल-.. [illegible].... में पेश हुआ/ वकील वादी प्रतिवादी तथा पक्षकारान उपस्थित/ अनुपस्थित। प्रकरण में [illegible] की भावना से पक्षकारान के मध्य [illegible] व मेलजोल के प्रयास किये गये। मेलजोल के प्रयासों के बावजूद भी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा नहीं हो सका। [illegible] पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 27-8-18 को पेश हो।	
27-8-18	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पीठ [illegible] मोटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-11-18 को पेश हो।	
8-1-19	इकजाई तारीख पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। कोर्ट समाप्ति तक वकील वादी व पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील वादी व पक्षकारान की अनुपस्थिति में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद वकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

SDO-SMPR